

# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : ओम कसेरा I.A.S.

प्रकरण संख्या – 95/2019 (अपील)

राधेश्याम आत्मज धूलीलाल जाति धाकड निवासी अमृत खेडी  
तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—रेस्पोजेन्ट



अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान  
भू-राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी  
आदेश दिनांक 04.10.2019 मि0नं0  
126/2019 तहसीलदार रामगंजमण्डी  
कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0


उपस्थिति

श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक:—04.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी कोटा ने ग्राम अमृत खेडी की भूमि खसरा नम्बर 04 की 0.32 हे0 किस्म चारागाह में संवत् 2076 में अतिक्रमण की रिपोर्ट पटवारी हल्का के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए प्रकरण संख्या 126/2019 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाने के आदेश एवं 100/- रुपये का शास्ति व 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित करते हुए दिनांक 04.10.2019 को निर्णय पारित किया है।
2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 20.11.2019 को पेश की गई है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है, अदालत मातहत का आदेश विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अदालत मातहत ने आसपास के व्यक्तियों के बयान लेखबद्ध किये बिना व शहादत लिये बिना व मौका मुआयना किये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर हुक्म जैर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को द्वितीय अतिक्रमी को नोटिस दिये बिना सिविल कारावास की सजा से सजायाब करने

  
जिला कलेक्टर  
कोटा

में त्रुटि की है तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया मात्र कयास के आधार पर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में हुक्म जैर अपील पारित किया है, अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा कर दी है तथा अपीलान्ट का भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है व अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ दिया है । हुक्म जैर अपील अपीलान्ट की अनुपस्थिति में पारित किया है, जिसका सर्व प्रथम ज्ञान पुलिस द्वारा अपीलान्ट को गिरफ्तार करने गांव में आने पर व गिरफ्तार करने व जमानत करने पर हुआ, इस पर दिनांक 14.11.2019 को अपीलान्ट ने अदालत मातहत के निर्णय की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 18.11.2019 को निर्णय की नकल प्राप्त हुई होर रूपयों का इन्तजाम कर अविलम्ब यह अपील प्रस्तुत की गई है । प्रथम जानकारी की तिथि से नकल के दिन एवं अपील के खर्च हेतु लगने वाले दिन को मुजरा करने पर अपील अवधि मध्य पेश है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। परोकार सरकार उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में नहीं आता है, मौके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा, मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व मौखिक जानकारी के आधार पर निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 26 रकबा 0.52 हे० किस्म चारागाह भूमि पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है । अपीलान्ट ने जुर्माने की राशि जमा करा दी है और अपीलान्ट की तरफ उक्त प्रकरण से सम्बन्धित कोई राजकीय राशि बकाया नहीं है । तथा भविष्य में कभी अतिक्रमण नहीं करने बाबत कथन किया । इसलिए अपील स्वीकार की जावें ।
5. परोकार सरकार ने अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पटवारी ली जाकर प्रकरण दर्ज कर नोटिस पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दिया है। रिपोर्ट पटवारी से अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होना मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है।
6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया। न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.10.2019 के विरुद्ध यह अपील दिनांक 20.11 2019 को पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के दिनांक 04.10.2019 के निर्णय का सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 14.11.2019 को होना बताते हुऐ विलम्ब को माफ कराने का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट मय अपीलान्ट के शपथ पत्र पेश किया गया है। इसलिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अवधि मध्य मानी जाती है। यदि कोई विलम्ब हुआ भी है तो वह क्षम्य है।
7. अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने रिपोर्ट पेश की है कि राधेष्थाम आत्मज धूलीलाल धाकड निवासी अमृतखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला



लिखा क.वेक्टर

द्वारा

कोटा ने ग्राम अमृतखेडी की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 04 रकबा 0.32 हैक्टेयर में अनाधिकृत कब्जा काशत किया है। इनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे। रिपोर्ट पटवारी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज कर अपीलान्त को अतिक्रमण की गई भूमि के बाबत नोटिस जारी किया जाकर उसे बेदखल करते हुए 100/- रुपये का जुर्माना तथा पश्चावर्ती अतिक्रमी मानते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

8. अपीलान्त ने विवादित आराजी से कब्जा हटाया जाना और तावान जमा कर दिया जाना तथा भविष्य में भी उपरोक्त भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए तत्पर होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपील आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
9. अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से सशर्त स्वीकार की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलान्त ने विवादित आराजी से कब्जा हटा लिया हो, तावान जमा करा दिया हो तथा भविष्य में कब्जा नहीं करने बाबत अन्डरटेकिंग अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दे तो इस स्थिति में सिविल कारावास का दण्ड निरस्त किया जाता है शेष आदेश बाबत बेदखली एवं तावान कायमी यथावत रखा जाता है।

10. निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओम कसेरा)

जिला कलक्टर, कोटा